जी.सी.एम.एस. नम्बर 2022/197

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पिठासीन अधिकारीः— हवाई सिंह यादव
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तिम वाद डिक्री

मुकदमा नम्बर :— 130/2021 (असगर अली वगै0 बनाम अब्दुल गफार खान वगै0)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, हवाई सिंह यादव, उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 04.04.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार मलसीसर को आदेश दिया गया था कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एंव कब्जा काश्त के अनुसार विधिवत् विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

तहसीलदार मलसीसर के आदेश क्रमांक भू0अ0/2023/30 दिनांक 03.01.2023 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। न्यायालय के निर्णय दिनांक 01.02.2023 निर्णय वाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम मलसीसर की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 1380/1359 रकबा 0.97 हैक्टर का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :—

क्र०सं०	नाम घोषित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)	भूमि किस्म	लगान
1	अब्दुल गफार खान पुत्र शादुले खान जाति कायमखानी सा. देह खातेदार	1380/1359 मि.	0.117	चाही—2	1.17
		किता—1	0.117	चाही—2	1.17
2	असगर अली तेली पुत्र रजाक अली तेली जाति मुसलमान सा. देह खातेदार	1380/1359 मि.	0.4015	चाही—2	4.015
		किता—1	0.4015	चाही—2	4.015
3	रूस्तम अल पुत्र अब्दुल रजाक सिरोहा जाति मुसलमान सा. देह खातेदार	1380/1359 मि. 1380/1359 मि.	0.3115 0.09	चाही—2 चाही—2	3.115 0.9
		किता—2	0.4015	चाही—2	4.015
4	असगर अली तेली पुत्र रजाक अली तेली रूस्तम अल पुत्र अब्दुल रजाक सिरोहा जाति मुसलमान सा. देह खातेदार	1380/1359 मि.	0.05	गै0मु0 रास्ता	0.50
		किता—1	0.05	गै0मु0 रास्ता	0.50

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 01.02.2023 को जारी की गई।

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर